

## राष्ट्रीय अस्मिता के निर्माण में भाषा की भूमिका

समर विजय

शोध छात्रा, हिन्दी विभाग  
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गाँधी नगर

भाषा के सम्बन्ध में भाषा वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से भाषाई समुदाय आपस में विचार विनियम करता है। जाहिर है कि भाषा की बनावट उसकी संरचना से सम्बन्धित है तथा प्रयोजन उसके विचार-विनियम के साधन होने से बनावट तथा संरचना का केंद्र बिंदु उस भाषा का व्याकरण होता है, और उसका प्रयोजन सन्दर्भ सम्प्रेषण से जुड़ता है तथा सम्प्रेषण एक समाज की मांग करता है। भाषा मानसिक संकल्पना तो है ही साथ ही साथ एक व्याकरणिक इकाई भी है, और एक संस्थागत प्रतीक भी। सम्प्रेषण का एक अन्यतम उदाहरण होने के साथ अस्मिता का एक सशक्त माध्यम भी है। भाषा एक समुदाय विशेष के व्यक्तियों की भावनाओं, उनके चिंतन और जीवन-दृष्टि के ध्वातल पर एक अद्भुत साम्य का निर्माण करती है और उन्हें आपस में जोड़ने और बाँधने की आग्रही भी रहती है। यही आग्रह उसकी परिषिको विस्तृत करता है और व्यक्ति 'मैं' को लांघकर 'हम' तक की यात्रा में प्रवृत्त होता है। 'मैं' और 'हम' की इस यात्रा के दौरान ही भाषाई अस्मिता का जन्म होता है।

अस्मिता संस्कृत के 'अस्मि' शब्द से निर्मित हुआ है। अस्मि का अर्थ होता है होना। यह हमारे 'अहं' से जुड़ता है, जो हमारे होने का बोध है और यही होने का बोध अस्मिता है। इसके बहुत सारे स्तर या स्वरूप होते हैं, जैसे क्षेत्रा, राष्ट्र, भाषा, जाति, धर्म आदि। हिंदी में अस्मिता सम्बन्धी विमर्श आधुनिक समय में इंग्लिश के 'आइडेंटिटी' के समानार्थक है। आइडेंटिटी अंग्रेजी के 'ईगो' शब्द से बना है। हमारे अंतर्मन में जो ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके लिए 'ईड' शब्द का प्रयोग होता है, इसका एक निश्चित बोध भी हमारे 'ईगो' को निर्मित करता है। यही ईगो आइडेंटिटी का निर्माण करता है। **शंभुनाथ** लिखते हैं – "मनुष्य की अस्मिता इस पर निर्भर है, वह किस रूप में जाना जाता है और खुद अपने को किस रूप में जानता है। अस्मिता की कोई कठोर सीमा-रेखा नहीं बन सकती। आदमी अपने देश, वंश, धर्म, जातीयता, लिंग, भाषा, राष्ट्र, भौगोलिक स्थान, विचारधरा, राजनीतिक पार्टी, पेशा, पारिवारिक संबंध, कला-कौशल – इन सभी से पहचाना जाता है। वह सामान्य स्थितियों में इन सभी पहचानों को एक साथ जी उठता है। बुफछ को प्राथमिकता की दृष्टि से चुन सकता है और कई से उफपर उठ सकता है।"<sup>1</sup>

बहुभाषा – भाषी देश की सम्प्रेषण व्यवस्था अनिवार्यतः संपर्क भाषा अर्थात् वृहत्तर आयामों पर 'लिंगुआ-प्रेफका' को जन्म देती है। राष्ट्रीय सन्दर्भ में कभी इसका रूप राजभाषा को जन्म देता है और कभी राष्ट्रभाषा को राजभाषा का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से रहता है, यह राष्ट्र को राजनीतिक और आर्थिक

दृष्टि से एकसूत्राता में बाँधने के काम में आने वाली प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा होती है। भारत के सम्बन्ध में अगर बात की जाए तो यह एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषी देश रहा है। अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो भारत एक विशाल देश है और काल की दृष्टि से इसका इतिहास और इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। अतः यह भी स्वाभाविक है कि यहाँ जातिगत, सांस्कृतिक, एवं भाषायी विभिन्नता मिले। परन्तु इन समस्त विभिन्नताओं के बावजूद हमें यहाँ एक अद्भुत साम्य दिखता है। चाहे वैदिक संस्कृत साहित्य हो या क्लासिक तमिल का संगम साहित्य या आदिवासी जनजातियों के मौखिक साहित्य की वाचिक परंपराओं सर्वत्र हमें संस्कार, चेतना एवं भावबोध का एक समानर्थी वातावरण देखने को मिलता है। इसी समानर्थी वातावरण को ध्यान में रखकर भारतीय संस्कृति को ‘विभिन्नता में एकता’ कहा गया है। शंभुनाथ लिखते हैं कि ‘बहुभाषिकता किसी भी देश के विकास के लिए बाध नहीं है, यह अनंत मानवीय संभावनाओं का द्वार है। यदि किसी भी देश में कई भाषाएँ हों, ये स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती हैं। ये विभिन्न जातीय समुदायों की भाषाओं के रूप में एक-दूसरे का सम्मान करती हैं, आपस में एक सांस्कृतिक समझदारी बनाती हैं। बहुभाषिक देश में ये मानों खुले, व्यापक और दीर्घकालिक विकास के लिए अनिवार्य सी होती हैं।’<sup>2</sup>

भाषा के सन्दर्भ में अगर हम देखें तो भातीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, पर उसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी। अनुच्छेद 351 पर गौर करें तो “केन्द्र का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसका विकास करे ताकि यह भारत की संशिलष्ट संस्कृति के सभी अंगों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, हिन्दुस्तानी तथा प्रयुक्त रूपों, शैलियों, और व्यंजनों के सम्मिलन द्वारा इसकी समृद्धि का प्रबंध करे।”<sup>3</sup> हिंदी भारत के एक बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है, और यही मायनों में यह राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी भी है।

स्वतंत्राता के पश्चात् अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के एक भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव किया गया। राष्ट्रभाषा बनने की सारी अहर्ताएँ हिंदी में थीं। गुजरात शिक्षा सम्मेलन के सभापति पद से बोलते हुए महात्मा गांधी ने सन् 1917 में इस तथ्य की ओर संकेत किया कि “वही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सुगम हो, जो धर्मिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में माध्यम भाषा बनने की क्षमता रखती हो, जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक लोग हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत की भाषाओं में हिंदी ही एकमात्रा भाषा ठहरती है जो उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है।”<sup>4</sup> परन्तु शासकीय प्रक्रिया के गलत होने के कारण, हिंदी को अंग्रेजी की स्थापना भाषा के रूप में उभारने का प्रयास हुआ। हिंदी को

प्रभुता संपन्न बनाने के क्रम में उसका उन सारे गुणों से वंचित कर दिया जो हिंदी को समाज से जोड़ते थे। हिंदी का विरोध डॉ. सुनीति वुफमार चटर्जी और डॉ. पी. सुब्बारायण ने किया क्योंकि उनके अनुसार हिंदी साम्राज्यवाद की नींव पड़ेगी, और प्रभुता सम्पन्न होकर हिंदी अंग्रेजी से भी अधिक तानाशाही हो जाएगी।

भारत में 1990 के आसपास भूमंडलीकरण की लहर आ गयी और इसने भारत सहित तीसरे देशों को अपने प्रभाव डालने शुरू कर दिए। बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे कस्बों, गाँवों तक में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुलने लगे। आज के युग में अंग्रेजी का यह बढ़ता वर्चस्व चुनौती है, और इतना ही नहीं भारत जैसे भाषाबहुल देश में राष्ट्रीय भाषाओं का विकास, और साथ ही छोटी अस्मिताओं की चीख एवं सह-अस्तित्व कम बड़ी समस्यायें नहीं हैं। राष्ट्रीय अस्मिता जिस इकाई को जन्म देती है, उसके मूल लक्ष्य हैं 'अभ्यांतर एकता' और 'बाह्य विशिष्टता'। इन दोनों लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए हम भाषा का ही सहारा लेते हैं। बहु बोली प्रधन हिंदी क्षेत्रा को हम खड़ी बोली के सहारे 'एक' सि( करना चाहते हैं, परन्तु इसी खड़ी बोली हिंदी को बंगाली, तमिल, तेलुगु भाषियों आदि अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अलग एक विशिष्ट इकाई भी सि( करना चाहते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है, पर भाषा का सहारा लेकर उसमें क्षेत्रीयता का रंग भरा जा रहा है। आंध्रप्रदेश में एक नहीं अपितु कई भाषाएँ बोली जाती हैं, परन्तु तेलुगु को क्षेत्रीयता का आधर बनाया जाता है, और हिंदी आदि अन्य भाषाओं से विशिष्ट सि( करने प्रयास करते हुए इसे हिंदी से काटने के कोशिश की जाती है। यही हाल तमिल, कन्नड़ और मराठी आदि भाषाओं के साथ भी देखा जाता है। यहाँ गौरतलब है कि क्षेत्रीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में भाषा के प्रश्न को उभारने का काम राजनीतिज्ञों के लिए सुविधजन्य है, क्योंकि भाषा अगर एक तरपफ जोड़ने का कार्य करती है तो दूसरी तरपफ तोड़ने का कार्य भी कर सकती है। इस सन्दर्भ में शंभुनाथ लिखते हैं— “अस्मिता का पैफलना—सिवुफड़ना एक राजनीतिक खेल है। एक स्थिति ऐसी आती है, जब यह व्यक्ति का चयन नहीं रह जाती। सबवुफछ इससे निर्धारित होने लगता है कि दूसरे लोग उसे किस रूप में देखते हैं। अचानक आदमी कभी ब्राह्मण के रूप में देखा जाने लगता है, कभी मुसलमान के रूप में, कभी दक्षिण भारतीय के रूप में, कभी उत्तर भारतीय के रूप में, कभी पिछड़ी जाति या दलित के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी अप्रवासी के रूप में, कभी एशियन के रूप में, कभी तिब्बती-बर्मी मूल के पूर्वोत्तर भारतीय के रूप में। वह अचानक किसी भी रूप में देखा जा सकता है। उसे अपनी अस्मिता के वरण की स्वतंत्राता नहीं है। यह अद्भुत बात है कि वैश्वीकरण के जमाने में ही ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं कि आदमी अपने समाज में अपनी अस्मिता चुन सके, वह कोई पहचान स्वेच्छा से त्याग या चुन सके।”<sup>5</sup>

देखा जाए तो भाषा की विघटनकारी शक्ति अगाध है। भारत के अलावा पाकिस्तान, नाइजीरिया,

कनाडा, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया आदि कई देशों में भाषा को हथियार बनाकर विभिन्न सामाजिक वर्ग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी प्रकार भाषाओं के आधर पर बनी राष्ट्रीय अस्मिता की भावना ने न केवल पूरे यूरोप को नए सिरे से खंडित किया, बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र की संकल्पना को ही नया आयाम दे डाला। पहले के बहुभाषा—भाषी राष्ट्र, भाषा की जातीय अस्मिता के आधर पर टुकड़ों में विभाजित हो गए, यहाँ तक कि बेल्जियम, पिफनलैंड, स्कॉटलैंड आदि द्विभाषिक क्षेत्रों भी क्षेत्रीयता की भावना और भाषाई तनाव से गुजरे। भारत में भाषा सम्बन्धी विवाद 19वीं सदी के शुरुआत से शुरू हो गए थे, जो बाद में आंध्रप्रदेश के भाषाई आधर पर पुनर्गठन के रूप में सामने आया। यही मराठी और पंजाबी के साथ भी हुआ। कहने का आशय है कि सत्ता की राजनीति वर्तमान दौर में क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता को अपना औजार बनाना शुरू कर चुकी है। आज बहुभाषिकता या स्थानीय भाषिक द्वे सामाजिक विशिष्टता का सरंक्षण जितना जरूरी है, भाषिक—सामाजिक पृथकतावाद से भी सावधन रहने की उतनी ही जरूरत है। भारत जैसे राष्ट्र में विशिष्टता और अखंडता में कोई अंतर्विरोध नहीं है, और ऐसे किसी अंतर्विरोध की अगर लेशमात्रा भी आशंका दिखाई पड़ती है तो वह सिर्फ संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों से ही प्रेरित हो सकती है।

प्रायः यह देखा जाता है कि हिंदी क्षेत्र के जातीय एकता को तोड़ने के लिए धर्म और जातिवाद का भी सहारा लिया जाता है। पृथक् क्षेत्रीय और भाषिक अस्मिता की मांग होती है, और यह कहा जाता है कि हिंदी उनकी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हिंदी, हिंदी क्षेत्र की बोलियों, भाषाओं और उपभाषाओं से मिलकर ही बनी है। अमरनाथ लिखते हैं – “मैं जब भी हिंदी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे दुर्गा का मिथक याद आता है। दुर्गा बनी कैसे? महिषासुर से त्रास्त सभी देवताओं ने अपने–अपने तेज दिए थे। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। तब जाकर महिषासुर का वध हो सका।”<sup>6</sup> हिंदी भी विभिन्न बोलियों, उपबोलियों की साझा निर्मिति है। इसमें ब्रज भी है, अवधी भी, भोजपुरी भी, मैथिली भी, राजस्थानी भी। अगर इनको हिंदी से हटा दिया जाए तो पिफर हिंदी में जो बचेगा वो शायद प्रभावी ना हो। समूचे हिंदी प्रदेश की बोलियाँ भी अस्मिता की राजनीति का शिकार बनायीं जा रही हैं, इन्हें हिंदी से अलग दिखाने का यत्न किया जा रहा है। बांगला, तमिल, असमिया आदि भाषाओं में भी स्थानीय बोलियाँ हैं, वहाँ भाषायी पृथकतावाद नहीं है, परन्तु हिंदी के सन्दर्भ में यह देखा जा रहा है।

हिंदी की सबसे बड़ी ताकत उसकी संख्या है। इस देश की लगभग आधी आबादी हिंदी बोलती है, और यह संख्या बल बोलियों के कारण ही है। बोलियों के अलग–थलग पड़ जाने से संख्या बल में भी गिरावट आ जायेगी, और पिफर हिंदी की शक्ति भी क्षीण हो पायेगी और पिफर ऐसा हो सकता है

कि अंग्रेजी को राजभाषा बनाने की मांग जोर पकड़ने लगे। सुमित्रानंदन पन्त पल्लव की भूमिका में लिखते हैं – “हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा। जिसमें हम हँसते–रोते, खेलते–वूफदते, लड़ते, गले मिलते, सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके, जो कलानिल के उफँच–नीच, छतु–वुंफचित, कोमल–कठोर घात–प्रतिघातों की तालपर विशाल समुद्र की तरह शत–शत स्पष्ट स्वरूपों में तरंगित कल्लोलित हो, आलोड़ित–विलोड़ित हो, हँसती–गरजती, चढ़ती–गिरती संवुफचित प्रसारित होती, हमारे हर्ष–रुदन, विजय–पराभव, चीत्कार, किलकार, संघ–संग्राम को प्रतिध्वनित कर सवेफ, उसमें स्वर भर सवेफ।”<sup>7</sup> अतः यह भाषा अंग्रेजी तो कर्तई नहीं हो सकती।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संकल्पा को देखा जाए तो राजभाषा वस्तुतः आर्थिक विकास और प्रशासनिक प्रयोजनों से सम्बन्धित है वही राष्ट्रभाषा सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टि से किसी राष्ट्र को एकताब( करती है। राष्ट्रभाषा वेफ लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि भाषा उस देश की ही भाषा होनी चाहिए। वास्तविकता की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो भाषाई झगड़ों का कारण राजभाषा की संकल्पना और उसका प्रयोजन है, न कि राष्ट्रभाषा की अवधरणा और उसकी सिंग सामाजिक नियंत्रण और प्रभुता जैसे मूल्यों से राजभाषा जुड़ी हुई होती है। इन्हीं मूल्यों से प्रेरित होकर हमारे देश में एक वर्ग ‘अंग्रेजी’ को राजभाषा बनाये रखने वेफ पक्ष में है और राष्ट्रभाषा वेफ रंग में रंगने वेफ उद्देश्य से अंग्रेजी को भी अन्य भारतीय भाषाओं की तरह भारत की ही एक भाषा सिंग करने वेफ प्रयत्न में लगे हुए हैं।

भारत में राजभाषा वेफ प्रश्न को राष्ट्रभाषा वेफ सवाल से जोड़कर देखा जाता है। इसका कारण यह भी हो सकता है यहाँ राष्ट्र को वफवल एक राजनैतिक और प्रशासनिक इकाई नहीं मानते हुए, यह भी सिंग करना है कि सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर पर भी कहीं न कहीं साम्य है, अपनी तमाम क्षेत्रीय विशिष्टताओं वेफ बावजूद यह एक समग्र इकाई है। यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा का द्वंद्व सामने आ जाता है। भारत जैसे देश में, जहाँ परंपरा अर्जित और संस्कृति–पुष्ट कई समुन्नत भाषाएँ हैं, जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा वेफ द्वंद्व वेफ सरल समाधन वेफ समक्ष एक प्रश्नचिर्चिर्बनकर आती है।

गौरतलब है कि भारत की सामाजिक संबंधों की प्रकृति एकोन्मुख नहीं हैं साथ ही हमारी सामाजिक अस्मिता भी एकाश्म नहीं है। राजनैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भारत संघीय है परन्तु सामाजिक स्तर पर यह स्तरीकृत है। यही कारण है कि भाषाओं वेफ आधर पर बनी राष्ट्रीय अस्मिता सोपानिक ढंग से स्तरीकृत है—अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानिक आदि। समग्र पर दो स्तरों वेफ बीच तनाव पैदा हो सकता है। आज हर दो स्तरों वेफ बीच की भाषाई अस्मिता को झगड़े का रूप दिया जा रहा है। हिंदी इसी से जूझती आ रही है। हिंदी को अंग्रेजी वेफ साथ खड़ा किया जा रहा है।

बांगला, तमिल, तेलुगु आदि समृद्ध क्षेत्रीय भाषाओं को संघ की राजभाषा हिंदी वेफ विरोध में उकसाया जा रहा है।

समग्रतः यह कहा जा सकता है किसी भी राष्ट्र की अस्मिता वेफ निर्माण में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा वेफ अभाव में अस्मिता खंडित-विखंडित ही रहेगी। भाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है, इसवेफ माध्यम से उस समाज वेफ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य अभिव्यक्ति पाते हैं। भाषा वेफ माध्यम से पूरा राष्ट्र बोलता है। अगर देखा जाए तो भारत की पहचान हिंदी से है, और इसी से बन भी सकती है। साथ ही भाषाई अस्मिता वेफ सवालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राष्ट्र वेफ अस्मिता से जुड़ता है। हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता भाषा वेफ प्रश्न पर तितर-बितर हो सकती है।

## संदर्भ सूची

- <sup>1</sup> शम्भुनाथ, भारतीय अस्मिता और हिंदी, पृ. 101.
- <sup>2</sup> शम्भुनाथ, भारतीय भाषाओं का वर्तमान संकट, प्रगतिशील वसुध, अक्टूबर-दिसम्बर, 2009, संपादक-कमला प्रसाद, पृ. 237.
- <sup>3</sup> नवलखा, गौतम, भाषा समस्या और हिंदी, हंस, मार्च, 1987, संपादक-राजेन्द्र यादव, पृ. 15.
- <sup>4</sup> श्रीवास्तव, रविन्द्रनाथ, डॉ. छ्वाणी, भाषाई अस्मिता और हिंदी, पृ. 25.
- <sup>5</sup> शम्भुनाथ, भारतीय अस्मिता और हिंदी, पृ. 101.
- <sup>6</sup> अमरनाथ, हिंदी को टूटने से बचाएं, सबलोग, सितम्बर, 2012, संपादक-किशन कालजयी, पृ. 44.
- <sup>7</sup> पन्त, सुमित्रानन्दन, पल्लव की भूमिका से।